भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †1804
सोमवार, 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

देश को बारहमासी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना

†1804. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश को बारहमासी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और सतत् पर्यटन को प्रोत्साहित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में कोई नीति बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): पर्यटन का संवर्धन और विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है।

तथापि, पर्यटन मंत्रालय भारत को बारहमासी पर्यटक गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की सहायता करता है। पर्यटन मंत्रालय अपनी स्वदेश दर्शन और प्रशाद योजनाओं के माध्यम से पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के तहत केंद्रीय एजेंसियों की भी सीएफए प्रदान की जाती है।

पर्यटन मंत्रालय वर्तमान में जारी अपने कार्यकलापों के एक भाग के रूप में देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के संवर्धन के लिए 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत महत्वपूर्ण और संभावित विदेशी बाज़ारों में वैश्विक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है। पर्यटन मंत्रालय देश का विकास बारहमासी पर्यटक गंतव्य के रूप में कर रहा है।

स्थायी एवं जिम्मेदार पर्यटन हेतु भारत को एक पसंदीदा वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है। इस कार्यनीतिक दस्तावेज़ में स्थायी पर्यटन के विकास हेतु निम्नलिखित कार्यनीतिक स्तंभ चिह्नित किए गए हैं:-

i. पर्यावरणीय स्थिरता का संवर्धन
ii. जैवविविधता का संरक्षण

iii. आर्थिक स्थिरता का संवर्धन
iv. सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिरता का संवर्धन
v. स्थायी पर्यटन प्रमाणन संबंधी योजना
vi. आईईसी तथा क्षमता निर्माण
vii. शासन

सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में स्थायी पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया गया है जिसमें चिह्नित केंद्रीय मंत्रालयों/संगठनों, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और औद्योगिक हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह बोर्ड देश में स्थायी पर्यटन के विकास के लिए विभिन्न कार्यनीतिक पहलों के प्रचालन तथा कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करेगा।

देश में, स्थायी एवं जिम्मेदार पर्यटक गंतव्यों और स्थायी पर्यटन के संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय ने आईआईटीटीएम, यूएनईपी और आरटीएसओआई के सहयोग से देश के विभिन्न हिस्सों के राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कवर करते हुए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय कार्यनीति के अनुसार ट्रैवल फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की है। ट्रैवल फॉर लाइफ का लक्ष्य पर्यटन संसाधनों की खपत हेतु पर्यटकों तथा पर्यटन व्यवसायों के लिए उठाए गए सुविचारित और सुनियोजित कदमों के माध्यम से देश में स्थायी पर्यटन का संवर्धन करना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक एवं गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी तथा जिम्मेदार गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) का नया रूप दिया है।

****